Animal diseases

*363 SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to control the animal diseases in ADIVASI districts of Maharashtra;

(b) the Central funds allotted to the State in this regard during the last five years; and

(c) whether all funds allotted for the purpose were fully utilized by the State; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (c) The control of Animal Diseases is a State subject. The Government of India is providing Central assistance under various schemes to supplement the efforts of the State Government in this sector. The Central funds released to the State of Maharashtra for control of Animal Diseases are in respect of Assistance to State for Control of Animal Diseases, National Project on Rinderpest Eradication, and for setting up of Regional Diagnostic Laboratory at Pune. Between years 1994-95 to 1998-99 a sum of Rs. 248.69 lakhs has been released to this State Government for the schemes mentioned above. Out of this allocation, a sum of Rs. 119.71 lakhs has been allocated to the Adivasi Districts by the State government and a sum of Rs.114.87 lakhs has been utilised. The reason for the marginal shortfall in expenditure is due to lesser expenditure incurred in Travelling Allowance of the Staff.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र में 31 जिले हैं जिनमें से 9 जिले आदिवासियों के हैं अर्थात् वहां की जो पापुलेशन है वह पापुलेशन मोर दैन 20 परसैंट है। वहां के सब आदिवासी छोटे छोटे सीमांत काश्तकार हैं, छोटी छोटी जमीन के काश्तकार हैं। उनका जीवन कृषि पर निर्भर है। सारी कृषि पशु धन पर निर्भर है। मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि पशु धन उपज के लिए, संरक्षण के लिए, रोगों के प्रतिकार के लिए एक प्रयोगशाला पुणे में है और उस प्रयोगशाला के लिए 114 लाख रुपये दिये गये हैं। मेरा सवाल यह है कि 9 जिलों

में जिसमें मोर दैन 20 परसैंट पापुलेशन आदिवासियों की है, उनका जीवन कृषि पर निर्भर है और कृषि पशु धन पर निर्भर है, क्या मंत्री महोदय इस काम के लिए राशि बढ़ाने का विचार करेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न है....

उपसभापति: यह जवाब आ जाए, फिर कर लीजिये।

श्री नीतीश कुमार: उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों से संबंधित यह सवाल है। जहां तक पशु धन के स्वास्थ्य का सवाल है, उनके रोगों के इलाज का सवाल है, यह सारे विषय राज्य के अधीन आते हैं। केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह उन को काम में हाथ बटाए, उनकी मदद करे। इस सिलसिले में कुछ योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। उसमें से तीन प्रमुख योजना हैं, एक तो है Assistance to State for Control of Animal Diseases. इसमें 50 प्रतिशत सहायता केन्द्र की तरफ से जाती है और 50 प्रतिशत अंशदान राज्य का होता है। दूसरी है National Project on Rinderpest Eradication. इसमें शत प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार से जाती है। तीसरी है Regional Diagnostic Laboratory, इसकी स्थापना पुणे में की गई है। इसको आधुनिक बनाया जा रहा है। जो पैसा राज्य सरकार को जाता है उसका एक हिस्सा राज्य सरकार आदिवासी इलाकों पर खर्च करती है। जो महाराष्ट्र सरकार से हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से उनका जो नवीं पंचवर्षीय योजना का पहला एलोकेशन आऊटले है वह 72 करोड़ 78 लाख रुपये का है। उसमें से 22 करोड़ 84 लाख रुपया उन्होंने ट्राइबल एरियाज़ के लिए ईयरमार्क किया है। जहां तक हेल्थ केयर की बात है उन्होंने डिसपेंसरीज़ को ठीक करने की बात की है। राज्य सरकार ने सूचना भेजी है, उसके हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में वेटर्नरी डिसपेंसरीज़ ग्रेड वन और ग्रेड टू की संख्या 3229 है और आदिवासी जिलों में यह संख्या 1772 है। इसी प्रकार से पोलिक्लिनिक 15 हैं। मोबाइल वेटर्नरी 41 हैं। आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर 402 हैं। की-विलेज सेंटर 244 हैं। राज्य सरकार ने जो सूचना भेजी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र के 32 जिले हैं जिनमें से वहां की राज्य सरकार 14 जिलों को ट्राइबल जिले मानती है।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: उपसभापति महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 14 जिले ट्राइबल जिले हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि हर जिले में, हर जगह कितने वेटर्नरी डाक्टर हैं और कितनी जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध हैं?

श्री नीतीश कुमार: उपसभापति महोदया, इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया है। राज्य सरकार ने जो सूचना हमारे पास भेजी है, उसके हिसाब से आदिवासी जिलों में वेटर्नरी डिसपेंसरीज़ ग्रेड वन और टू मिला कर के 1772 है। पोलिक्लिनिक 15 हैं। मोबाइल क्लिनिक 22 हैं। ए०आई० सेंटर 402 हैं। की-विलेज सेंटर 244 हैं। कितने डाक्टर हैं, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं भेजी है। इसका उत्तर हम उनको नहीं दे सकते हैं।

उपसभापतिः डिसपेंसरीज़ हैं, डाक्टर नहीं हैं तो क्या फायदा?

श्री नीतीश कुमारः यह तो राज्य सरकार को करना है। केन्द्र की तरफ से मदद हर क्षेत्र में जाती है। चाहे उनका हेल्थ केयर के लिए हो या और कई प्रकार की जो योजनाएं केन्द्र की चलती हैं उनके लिए यहां से मदद दी जाती है।

उपसभापतिः पर कुछ आप मानीटरिंग करते हैं? आप पैसे यहां से भेजते हैं तो कुछ आपके पास ऐसी .....Have you some teeth to monitor so that they use it with the doctors also, not just with the equipment only?

श्री नीतीश कुमारः महोदया, अब तो जमाना है कि राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। अगर केन्द्र सरकार ज्यादा कुछ करना शुरू करेगी तो इनकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है उनका परफारमेंस, जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से अच्छा है।

कुमारी सरोज खापर्डेः मुझे जो पूछना था उसका जवाब आलरेडी मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणेः महोदया,

उपसभापतिः ये पूछ लें। आपके दो हो गए हैं।

SHRI S.B. CHAVAN: Madam Deputy Chairman, I just want to put two questions. The first one is about the CAG's report. In the CAG's report, it has been stated--for the country as a whole, and it includes Maharashtra also-- that amounts meant for development have been misappropriated and diverted for purposes which are not within the jurisdiction of the State Governments. They have been utilized for the payment of salaries. I would like to know from the hon. Minister whether this information is also applicable in the case of Adivasi areas. There are about 20 Adivasi districts which are involved in this. I would also like to know whether the CAG's report mentioning about misappropriation, or, diversion of funds for an altogether different purpose is applicable in the case of these Adivasi districts also.

The last part of the reply is, in fact, highly disturbing. It says, 'The reason for the marginal shortfall of expenditure is due to lesser expenditure incurred in travelling allowances of the staff.' I have not been quite able to understand whether the tribal funds are also being

used for travelling expenses. Travelling expenditure is the responsibility of the State Governments and their officers. I don't think there can be any shortfall because of this travelling expenditure not being booked by the State Government officers. I would like to understand both these aspects. What is the exact position?

श्री नीतीश कुमारः मैडम, यह सवाल बहुत सीमित है। यह एनीमल डिजीज को महाराष्ट्र स्टेट के आदिवासी डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस सिलसिले में कितना पैसा पिछले 5 वर्ष में सेंटर के द्वारा एलाट किया है और जो पैसे एलाट किए गए हैं वे खर्च हुए हैं या नहीं—इस पर सीमित है। भारत सरकार की तरफ जो पैसे दिए गए हैं, उनकी जानकारी और मूल प्रश्न के उत्तर को एक साथ जोड़कर इसकी जानकारी दी गयी है। यह मुझे बताया गया है कि एक साल कुछ कम ट्रेवलिंग एक्सपेंडीचर उसमें हुआ था और उसके चलते कुछ कम राशि खर्च हुई है। लेकिन जिस काम के लिए पैसे दिए गए हैं, वह पैसा खर्च किया गया है कि नहीं केवल यह मुझे जानकारी दी गयी है। जहां तक इन्होंने सी०ए०जी० की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया तो इस सवाल के सिलसिले में यह मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है। मैं उस सी०ए०जी० की रिपोर्ट का अध्ययन कराऊंगा और उस सिलसिले में अगर महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों के बारे में कोई बात होगी तो उसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को दूंगा। सी०ए०जी० की रिपोर्ट पशुपालन के संबंध में कुछ आई है, एक खास राज्य के बारे में। उसकी चर्चा तो दुनिया भर में होती है। सब लोग जानते हैं कि वहां पशुपालन के मामले में क्या हुआ। लेकिन इसका सवाल नहीं है...(व्यवधान) आपने ही कह दिया। पूरे देश के बारे में कहा था ..(व्यवधान) माननीय चव्हाण साहब ने ही पूरे देश के बारे में कहा। लेकिन उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अगर उस संबंध में जिसका उल्लेख आपने किया है—उसका कोई संबंध महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों से होगा तो उसकी पूरी जानकारी हासिल करके मैं उनको सूचित कर दूंगा।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Madam, the question pertains to Maharashtra. But it is not the Maharashtra is the only State which has got Adivasi population. There is Adivasi population throughout the country. In the case of Adivasis, when their properties are counted, first the strength of the animals that they have got or the amount of ornaments that they have got, are counted. That determines what their social status is. To some extent, in almost all the States where there is dairy farming or dairy development, the cattle institutions have to keep veterinary surgeons for examination of the animals or diagnosis of the diseases in that area. I would like to

know from the hon. Minister whether the Ministry has got any scheme to introduce Central supervision, so far as veterinary diseases are concerned.

श्री नीतीश कुमार: मैडम, यह बात सही है कि आदिवासी इलाके सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, देश के कई हिस्सों में हैं। लेकिन यह एनीमल हैल्थ केयर का सवाल है और पूरे देश के लिए यह योजना है: आदिवासी इलाके के लिए भी है और सभी आदिवासी इलाकों पर समान रूप से यह योजना लागू होती है। चूंकि सवाल एक आदिवासी राज्य के सिलसिले में पूछा गया था, इसलिए वहां से जानकारी एकत्रित कर मैंने देने की कोशिश की थी। महोदया, जहां तक एनीमल हैल्थ के संबंध में केन्द्र सरकार की योजनाओं का सवाल है, वह मुख्य तौर पर एनीमल क्वारेंटाइन इन सर्टिफिकेशन सर्विसेस है जिस में शत-प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाती है। फिर एक योजना असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट फार कंट्रोल आफ लाइव स्टक डिसीजीज है जिस में 50 परसेंट ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है बाकी खर्च राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। मैडम, इसी में टूथ एंड माउथ तथा और दूसरे प्रकार की डिसीजीज हैं। फिर एक एनीमल डिसीजीज सरवाइलेंस की योजना है जोकि असिस्टेंस टू स्टेट्स फार द कंट्रोल आफ लाइव-स्टाक डिसीजीज योजना का हिस्सा है जिस का मैंने उल्लेख किया है। उसी का एक कम्पोनेंट एनीमल डिसीजीज सरवाइलेंस और प्रोफेशनल एफीसिएंसी डवलपमेंट है। मैडम, स्टेट्स गवर्नमेंट को एनीमल प्रोजेक्ट आन रिंडर पेस्ट इरेडिकेशन की योजना के लिए 50 प्रतिशत ग्रांट दी जाती है। फिर इन की दवाई आदि पर निगरानी रखने और उन की क्वालिटी को कंट्रोल रखने के लिए नेशनल वेटेरेनरी बायोलाजिकल प्रोटक्ट्स क्वालिटी कंट्रोल सेंटर है और स्ट्रेंथनिंग आफ डिसीज डायग्नास्टिक रेफरल लेबारेटरीज की योजना है। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जिन पर शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान मिलता है।

श्री रामगोपाल यादव: मैडम, गाय और भैंस जो कि दूध देने वाले पशु हैं जिन से कि लाखों परिवार देश में उन का दूध और दही बेचकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। मैडम, ये पशु सब से ज्यादा गला घोंटू और खुर पका रोग से मरते हैं। मैडम, इस देश का दुर्भाग्य है कि मनुष्यों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए तो कई रिसर्च हुई और दवाएं आई हैं, लेकिन इन जानवरों के जो सर्वाधिक घातक रोग हैं, उन के लिए कोई रिसर्च लेबारेटरीज जिन में इन की दवाएं तैयार की जा सकें, की व्यवस्था नहीं हुई है। मैडम, ये पशु रात को बीमार होता है और सुबह मर जाता है। उस पर कोई दवा काम नहीं करती है। ....**(व्यवधान)**.... मेरे पास गाय भैंसे हैं, इसलिए आप को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैडम, जिन के पास ये पशु नहीं हैं, वे सवाल कर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस इलाके से संबंधित ये प्रश्न है, उस इलाके में पिछले वर्षों में पशुओं की सर्वाधिक मौतें किन रोगों से हुई और अगर ये गला घोटूं, खुर पका या मुंह पका जैसे रोग हैं तो उन के निदान के लिए क्या कोई प्रभावी दवा खोजने की कार्यवाही की जा रही है?

श्री नीतीश कुमार: मैडम, जिन रोगों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वे कई प्रकार के रोग हैं, लेकिन इन में खास तौर से रिंडर पेस्ट डिसीज के इरेडिकेशन के लिए पूरी योजना चल रही है और एक तरह से भारत ने प्रोवीजनली यह घोषित कर दिया है कि हम अपने यहां से रिंडर पेस्ट डिसीज को समाप्त कर देंगे। इस के बारे में ओ०आई०ई० के पास रिपोर्ट भेजी जा रही है जोकि इन सब चीजों की दो स्तर पर जांच करेगी कि क्या यह रोग चला गया है या बचा है जिस से कभी भी और इनफेक्शन हो सकता है। इस बारे में उम्मीद की जाती है कि अंतिम बात सन् 2000 तक हो पाएगी जब इन के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उपसभापति जी, जहां तक फूट एंड माऊथ डिसीज का सवाल है, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, यह जो बीमारी है यह दुनिया भर में है। हमारे यहां इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा थ्रस्ट दिया जाता है और इस पर मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह की रिसर्च चलती रहती है। अभी तक जो वैक्सीन है, वह 6 महीने तक इफेक्टिव होती है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अब हमने इसमें इजाद कर लिया है और यह 9 महीने तक इफेक्टिव होगी। इस प्रकार से इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है और जो यह मेडिसिन बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाई जाती हैं, उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही प्रोडक्शन पर भी सरकार जो भी संभव सहायता होती है वह करती है।

Withdrawal of NDDB from MAHAPHED

*364. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government have decided to withdraw the National Dairy Development Board (NDDB) from MAHAPHED; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) and (b) The management of Maharashtra State Co-operative Oilseeds Growers' Federation Limited (MAHAFED) was taken over by NDDB as administrator from 8.4.1997 on a request from the Government of Maharashtra.